[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या. 95/2020–केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 दिसंबर, 2020

सा.का.नि.......(अ)- आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 80 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 44 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को, वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी के लिए, 28.02.2021 तक विस्तार करते हैं।

(फा. सं. सीबीईसी –20/06/13/2020–जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार